



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय: 2A गौतम नगर, आई.टी.आई. रोड
फतेहपुर-212601

सार्वजनिक बिक्री
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 29.01.2025
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय आतियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना)

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहरताहारी द्वारा निम्नलिखित खातों में मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ओ)/बंधककर्ता (ओ) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रॉ)/ गारंटीदाता (ओ) बंधककर्ता (ओ) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहरताहारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों) नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहरताहारी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्द्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ओ)/ बंधककर्ता (ओ) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/ प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ओ)/ बंधककर्ता (ओ) को एतद्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/बिबिदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/ बोलीदाताओं को 29.01.2025 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय: 2। गौतम नगर, आई.टी.आई. रोड फतेहपुर-212601 में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पुरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बिबिदा 30.01.2025 को खोली जायेगी।

बकायेदार का नाम व पता	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि अधिग्रहण तिथि अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु.)	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि
-----------------------	-------------------	--	-----------------------	----------------------------------

खाता संख्या : 56690400000052

अणुग्राही-मेसर्स रूद्र पलोर मिल प्रोपेराइटर श्री राजू लोधी, पता : कासिमपुर बीबीहाट, बिलन्दा, फतेहपुर-212645 जमानतकर्ता-1) गजराज पुत्र राजा ग्राम-असवार, पोस्ट-तारापुर, मालवा, फतेहपुर-212664 2) श्री रामजी पुत्र श्री रामकिशुन, ग्राम-गौहारी पोस्ट-सर्कण्डी, फतेहपुर-212658	पुजमाग अराजी 347, ग्राम-कासिमपुर बीबीहाट, परगना व तहसील-फतेहपुर-212601 क्षेत्रफल-715 वर्ग मीटर	06.03.2017 / 13.09.2024 / भौतिक कब्जा	रु. 29,70,130/- दिनांक-20.12.2024 को	आरक्षित धनराशि रु. 27,50,000 /- अग्रिम धनराशि रु. 2,75,000 /-
---	--	---	--	---

बिक्री के नियम एवं शर्तें:

- इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली कम सं. एवं प्रकारान की तिथि वर्णित होनी चाहिए)
- बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में सुल्तानपुर में देय योग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा परोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संग्रह करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जमा कर ली जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सारकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
- सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।
- यदि ऐसा पाया जाता है कि 2 या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नई बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है, जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है।
- अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जायेगा। हालांकि कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूति आतियों को निर्मित करने का अवसर होगा, जो प्रतिभूतिहित परिवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (b) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन, संशोधन, नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकायापूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा।
- यह बोलीदाताओं की एक मात्र जिम्मेदारी है कि यह सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित शाखा से सगम लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं।
- यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओ)/बंधककर्ता (ओ) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है।
- बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूति लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किये गये लिंक यानी <https://www.barodaupbank.com/sarfaesinotice.php>

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता (ओ) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

तिथि-22.12.2024
स्थान-फतेहपुर

(प्राधिकृत अधिकारी)
मुख्य प्रबंधक, बड़ौदा यू.पी. बैंक